श्री समर गुह वहां गये किन्तु उन्हें यह जानकर बड़ा खेद हुआ कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने वहां का दौरा कर लिया है तथा आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं। **(व्यवधान)** विपक्षी दल कहीं तभी जाते हैं जब उन्हें वहां समस्यायें खड़ी करनी होती हैं।

अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने का पहला कारण यह हैं कि कांग्रेस सरकार को अपदस्थ किया जाए। पश्चिम बंगाल में तथा केन्द्र में एक ही पार्टी की सरकारें हैं किन्तु आश्चर्य की बात है कि श्री ज्योतिर्मय बसु की पार्टी पश्चिम बंगाल में स्वयं को विपक्षी दल नहीं मानती और केन्द्र में मानती है। प्रजातन्त्र प्रणाली के बारे में उनके विचार हमारी समझ में नहीं आते।

इस प्रस्ताव का दूसरा उद्देश्य सरकार की आलोचना करना है। किन्तु प्रति क्षण इस व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। अनर्गल आलोचना तथा चरित्र हनन का यह दृष्टिकोण नितान्त घातक है।

इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले ने 'हत्या' शब्द का उल्लेख किया है। मैं पूछना चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल में उस समय कितनी पार्टियों ने इस प्रकार के शब्द कहे थे जब वहां श्री ज्योतिर्मय की पार्टी ने ऐसे जघन्य अपराध किये थे? **(व्यवधान)** 1973 में सी० पी० एम० के सदस्यों ने हमारी पार्टी के 71 सदस्यों की हत्या की थी। दिनांक 21 फरवरी, 1973 को रानीगंज में श्री दीपक भौमिक की हत्या की गई। दिनांक 18 अक्तूबर को सी० पी० एम० के समर्थकों ने एक अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता की हत्या की थी। इसी प्रकार श्री नीरेन घोष, आर० सी० शर्मा आदि कई कांग्रेसियों की हत्या की गई। इस पर भी श्री ज्योतिर्मय हत्याओं का उल्लेख करने की सामर्थ्य रखते है। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु न किसी व्यक्ति का आदर करते है और न किसी वर्ग का और न किसी सिद्धान्त का। उन्होंने समाचारपत्रों पर यह आरोप लगाया है कि उनको भी खरीदा जा सकता है। वह सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भ्रष्ट मानते हैं। अर्थात् मानों वही ईमानदार हैं या उनकी पार्टी के सदस्य। ढाई वर्ष बाद फिर चुनाव होने हैं तथा देश की जनता पुनः सिद्ध कर देगी कि कौन खराब है और कौन खोटा।

हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे हमें अपने ऊपर कोई ग्लानि हो। हमने अपने देश की जनता की चेतना को जगाया है तथा हमें अपनी नेता श्रीमती इन्द्रा गांधी पर गर्व है।

अध्यक्ष महोदय: कल यह निर्णय किया गया था कि प्रधान मंत्री 7 बजे अपना भाषण देंगी। अब 7 बजकर 20 मिनट हो चुके हैं तथा दो-तीन सदस्यों के नाम अब भी शेष हैं।

श्री पी० जी० ग्वालकर: महोदय मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी से श्री शमीम बोल चुके हैं। कल के निर्णय से पीछे नहीं हटना चाहिये।

Shri Madhu Limaye: Reply can be given tomorrow.

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, अब मैं प्रधान मंत्री को बुला रहा हूं। प्रधान मंत्री।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): मैंने अविश्वास प्रस्तावों का स्वागत किया है क्योंकि उनसे हमें अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने का मौका मिलता है। उनसे यह भी पता चला है कि इन सभी वर्षों में विरोधी दल कोई नई बात नहीं रख सके हैं।

जब चुनाव होने वाले होते हैं तो विरोधी दल अविश्वास प्रस्ताव लाया करते हैं । मैं माननीय सदस्य श्री श्यामनन्दन मिश्र और श्री समर गुह की बातों का उत्तर दे सकती हूं । हमने विरोधी दलों के साथ बैठकर बातचीत की थी कि जब युद्ध हो रहा हैं तो चुनाव करवाना उचित नहीं होगा परन्तु एक बार युद्ध समाप्त हो गया है तो शान्ति के समय अब चुनाव न करवाने के लिये क्या बहाना हो सकता है । (व्यवधान)

यह कहा गया था कि इस पक्ष की ओर से दिये गये भाषणों में कमियां थीं। मैंने सभी माननीय सदस्यों के भाषण सुने हैं । मैंने अपने कमरे से श्री बाजपेयी का भाषण सुना था। हमारे पक्ष की ओर से दिये गये भाषणों में विरोधी दलों द्वारा दिये गये भाषणों में उठाई गई आलोचना और प्रत्येक बात का उत्तर दिया गया था ।

मैं वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री को उनके भाषणों के लिये बधाई देती हूं ।

लोकतंत्र के बारे में काफी कुछ कहा गया है । श्रीमती माया रे ने थोड़े समय पूर्व पश्चिम बंगाल में अनुभव किये गये लोकतंत्र के दृष्टिकोण का उल्लेख किया। मैं नहीं समझती कि विरोधी दलों की ओर से कही गई बातों को गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिये। पश्चिम बंगाल सरकार के प्रति अत्यधिक उदार होने के आक्षेप लगाये गये हैं और कहा गया हैं कि उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये ।

अब सारे विरोधी दल मिलकर आवाज उठा रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा की जानी चाहिये। हमारे दल ने भारत में लोकतंत्र की नीव डाली और आज भी हम देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिये कृतसंकल्प हैं ।

परन्तु लोकतन्त्र दोषारोपण करने, मिथ्या आरोप लगाने और देश के विश्वास को कम करने का लाइसेंस नहीं है ।

केवल इस सभा में ही नहीं अपितु सभा के बाहर भी अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है । सरकार ने इस स्वतंत्रता को कम करने के लिये कुछ भी नहीं किया हैं और न ही भविष्य में उसका ऐसा कुछ करने का विचार हैं । परन्तु लोकतंत्र में कुछ उत्तरदायित्व आ जाते हैं । निश्चय ही बहुमत दल का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अल्पमत की आवाज न दबने पाये परन्तु साथ ही अल्पमत अर्थात् विरोधी दलों का भी कुछ उत्तरदायित्व है । लोकतंत्र में विरोधी दलों का उत्तरदायित्व होता है और विशेषकर संकट के समय उनका उत्तरदायित्व अधिक होता है कि वे संसद द्वारा स्वीकृत और पारित कार्यक्रमों में रुकावट न डालें। अत्यधिक आर्थिक संकट के समय विरोधी दलों के कार्य कितने उत्तरदायित्व पूर्ण रहे हैं इस बात से जनता भली-भांति विदित है ।

'फासिस्ट' शब्द का भी उल्लेख किया गया है । मैंने फासिस्ट देशों को देखा है । मैं नहीं समझती कि विश्व में कोई भी व्यक्ति इस बात का प्रतिकार करेगा कि हमारे दल का 'फासिस्ट' के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का अच्छा रिकार्ड हैं ।

एक माननीय सदस्य ने सुरक्षा का प्रश्न उठाया। मैं उनमें से एक हूं जो इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं ।

हम जनता की, उसकी कठिनाइयों से सदैव रक्षा नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ घटनायें हमारे वश की नहीं हैं अथवा कुछ हमारी अपनी कमियां हैं और असफलता है । मैं जनता के पास गई हूं

और जो गलतियां हुई हैं उनको मैंने माना है । हम जानते है कि विश्व में कोई भी बिना गलती किये इतने बड़े देश का शासन नहीं चला सकता। यहां तक कि विशेषज्ञों का यह कहना है कि उन्होंने इतनी बड़ी समस्या कभी नहीं देखी ।

हम गलतियां तो करते हैं और चूंकि हम मानव हैं इसलिये गलतियां करते रहेंगे। हम जनता से केवल इतना वादा कर सकते हैं कि यदि हमने कोई गलती की हो तो उसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये ।

ऐसा लगता है कि मेरे मित्र, श्री श्यामनन्दन मिश्र 'चरित्र-हनन' शब्द से चिड़ते हैं परन्तु उस पक्ष की ओर से की गई टिप्पणियों का हम और किस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं ?

जो कुछ हमने कहा है वह यह कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्यक्षतः (प्राइमा फेसी) कोई मामला हो तो इसकी जांच होनी चाहिये। परन्तु प्रत्येक गैर-जिम्मेदार आरोप की जांच नहीं की जा सकती। श्री एच० एन० मुकर्जी ने आग्रह किया कि चूंकि जब आरोप लगाये गये हैं तो उत्तर दिये जाने चाहियें । बाबू जगजीवन राम जी इसे स्पष्ट कर चुके हैं ।

यह दूषित वातावरण उत्पन्न करने का समवेत प्रयास है । यदि इसमें कोई सच्चाई नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं ?

मैं मारुति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि जितने भी प्रश्न उठाये गये हैं उनका समय-समय पर उत्तर दिया जा चुका है। मैं सार्वजनिक बैठकों में कह चुकी हूं कि किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं किया गया है, नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है और किसी के प्रति अन्याय नहीं किया गया है । जो वेतन तथा परामर्श सेवा है, वह नियमों के अनुसार है ।

जब एक माननीय सदस्य ने मुझसे प्रश्न किया "क्या आपका कहीं मकान है" तो मैंने उत्तर दिया "नहीं"। जैसा कि सभी जानते हैं कि मेरा विदेशों में भी खाता नहीं है ।

यह भी कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में मेरे पास बड़े-बड़े भू-खंड हैं ।

कुछ दलों ने राष्ट्रीय प्रतिभा को नष्ट करने का प्रयास किया है । और भी ऐसी बातें कहीं गई हैं जिन पर आपने गौर किया होगा ।

मैं उनसे इस बात के लिये पूर्णतया सहमत हूं कि छात्रों को राजनीतिक या अन्य कार्यों के लिये अनुचित लाभ उठाने हेतु माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिये। आज क्या हो रहा है ? आई० आई० टी० दिल्ली के बारे में मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक संदेश मिला है । उस संस्थान के प्रांगण में एक राजनीतिक दल बैठकें आयोजित कर रहा है । वह कर्मकारों को उकसा रहा है कि वे विभागाध्यक्षों को पीटें। क्या कानून और व्यवस्था का इसी प्रकार पालन किया जाना चाहिये ? क्या देश में शिक्षा को इसी प्रकार प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ।

अभी दस मिनट पूर्व मुझे सूचना मिली है कि जनसंघ नियंत्रित वजीराबाद हैड वर्क्स की एक यूनियन द्वारा आज सुबह से हड़ताल हो रही है । (**व्यवधान**) । दो आदमी कहीं भी गड़बड़ कर सकते हैं ।

हमने कभी न तो साम्यवादी दल और न ही किसी अन्य दल का समर्थन किया है । हम कांग्रेस के कार्यक्रमों का समर्थन कर रहे हैं । हम उस व्यक्ति का समर्थन करते है जो हमारी नीतियों का समर्थन करता है । कांग्रेस के अधिकांश कार्यक्रम नये कार्यक्रम नहीं है । हमारा मार्ग स्पष्ट है, चाहे वह औद्योगिक नीति के बारे में हो चाहे अन्य किसी नीति के बारे में हो।

एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या कानून का मार्ग या गांधी जी द्वारा दर्शाया गया अनुनय का मार्ग अपनाया जाना चाहिये। मैं सभा को आश्वासन दे सकती हूं कि अनुनय के मार्ग को अपनाया जायेगा । कितने व्यापारी न्यासिता (ट्रस्टीशिप) के उस मार्ग को अपनाने को तैयार हैं जिससे गांधी जी का तात्पर्य था ।

मेरे मथुरा में दिये गये भाषण का उल्लेख किया गया है । बाबू जी 'द्रमुक' को इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं । मैंने अपने भाषण में जो कुछ कहा वह उस विशेष अवसर के लिये था।

हमें याद दिलाया गया था कि कांग्रेस में भिन्न-भिन्न विचारों वाले लोग हैं । हमें भिन्नता पर गर्व है । इस भिन्नता में भी बहुत अधिक एकता है । हम जानते हैं कि कुछ लोग कभी-कभी गुटबाजी में लग जाते है परन्तु एक बार जब कोई नीति निर्धारित कर ली जाती है तो उस पर हम अमल करते हैं ।

अधिकांश राज्यों ने उन्हें क्रियान्वित किया है । कभी-कभी किसी एक क्षेत्र में क्रियान्विति पूरी तरह नहीं भी होती तो, यह एक दुर्भाग्य की बात है । हमें वह सुनिश्चित करने के लिये कि उनके क्रियान्वयन में सुधार हो, उतना करना चाहिये जितना हम कर सकते हैं ।

मैं यह कह रही थी कि मुश्किल से ही विश्व में कोई ऐसा देश है जो वित्तीय संकट से बचा हुआ हो। इसका क्या कारण हो सकता है ? व्यवस्था में ही कुछ त्रुटि हो सकती है । आमूल परिवर्तन किये जाने चाहियें परन्तु हमारा सम्बन्ध कुछ सीमा तक विश्व की मुद्राओं से है ।

विश्व में जो कुछ होता है उसका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ता है । चाहे हम कितनी ही कोशिश करें हमारे देश पर उनका प्रभाव तो पड़ेगा ही ।

जब मैं इस बारे में बोल रही थी कि हालात सुधर रहे हैं तो मैंने यह नहीं कहा कि पूरी स्थिति बदल रही है । मैंने यह कहा था कि खाद्य स्थिति और बहुत सी अन्य वस्तुओं की स्थिति में सुधार हो रहा है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिन सरकारी उपक्रमों ने अच्छा कार्य नहीं किया उनमें काफी सुधार हुआ है ।

एक बात, जिसका मैं पहले उल्लेख करना भूल गई, वह यह है कि बंगला देश के संकट के समय मैंने विरोधी दलों की प्रशंसा नहीं की। मैं नहीं समझती कि यह सत्य है । मैंने अपनी आम सभाओं में यह कहा है कि विरोधी दलों तथा भारत के सभी लोगों ने मिलकर साथ दिया और हमें यह शानदार विजय प्राप्त हुई है ।

श्री एच० एम० पटेल ने तटबंदर खुदाई के बारे में टेनेको की पेशकश का उल्लेख किया। इस प्रस्ताव को इसलिये स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि जितने तेल का उत्पादन होता उसका आधा तेल सहयोगी कम्पनी को देना पड़ता । इसके मार्ग में बाधा डालने में किसी विचारधारा की कोई बात नहीं थी।

भिन्न-भिन्न राज्यों में राष्ट्रपति-शासन की आलोचना की गई है । उत्तर प्रदेश में ऐसा एक विशेष स्थिति के संदर्भ में हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सत्तारूढ़ दल का वहां बहुमत था परन्तु पुलिस की अनुशासनहीनता भी कोई साधारण बात नहीं थी। उस समय हमें उसके उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों पर होने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, ऐसा करना उचित लगा। वहां के मुख्य मंत्री ने सिरिफाश की कि अस्थायी आधार पर केन्द्रीय शासन लागू किया जाये। यह आलोचना राजनीति से प्रेरित है कि चुनाव आ रहे हैं इसलिये ऐसा किया गया।

जहां तक आन्ध्र प्रदेश का संबन्ध हैं, जिस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया वह पूर्णतया भिन्न थी। वहां कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। उसके लिये सभी दल उत्तरदायी हैं । प्रशासन लगभग ठप्प हो गया था। हमें आशा हैं कि वहां शीघ्र ही लोकप्रिय सरकार स्थापित हो जायेगी। यद्यपि चुनाव होते नजर नहीं आ रहे है ।

उड़ीसा में उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया गया है । मैं इतना कहना चाहती हूं कि विरोधी दलों के बहुमत पर राज्यपाल की आशंका युक्तिसंगत थी।

यह भी कहा गया हैं कि बजट पारित नहीं किया गया था। अस्थिर सरकार के माध्यम से ऐसा करना संभव नहीं था ।

न तो किसी ने और न मैंने कभी यह कहा कि सभी कठिनाइयां बंगला देश या युद्ध के कारण से हुई हैं । परन्तु इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि एक यह बड़ा संकट था जिसका प्रभाव प्रशासन के सभी भागों पर पड़ा और यह भार इतना अधिक था जिसे एक दो वर्ष में समाप्त नहीं किया जा सकता ।

जो लोग जाति व्यवस्था में विश्वास रखते हैं वे हरिजनों की हालत पर हमें भाषण दे रहे हैं । हम स्वयं हरिजनों के बारे में चिन्तित हैं और मुझे दुःख है कि हम अपने कानूनों के बावजूद भी हरिजनों के प्रति लोगों के रवैये में परिवर्तन नहीं कर सके हैं ।

विरोधी दल के सदस्य लोगों से कह रहे हैं कि वे मुझे अस्वीकार कर दें। यदि ऐसा होता है तो इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं होगा ।

अतः मैं माननीय सदस्यों से अपील करती हूं कि वे इस अविश्वास के प्रस्ताव को अस्वीकार करें जो राजनीतिक उद्देश्य से लाया गया है ।

श्री ज्योतिमयं बसु (डायमंड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया सभा में व्यवस्था स्थापित कीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : सभी सदस्य शान्ति से बैठे हैं ; आप उनको इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि वे आप को सुनें ।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : श्रीमान् जी, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपने एक पूर्व अवसर पर यह निर्णय दिया था कि दूसरी सभा के किसी सदस्य का उल्लेख नहीं किया जायेगा। बेशक मंत्री उत्तर देते समय उनके नाम का उल्लेख कर सकते हैं

मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप श्री बसु को कहें कि वह दूसरी सभा के किसी सदस्य के नाम का उल्लेख न करें ।